



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2374]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 31, 2015/कार्तिक 9, 1937

No. 2374]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 2015/KARTIKA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2015

**का.आ. 2979(अ).**— यतः, मै. अंजता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में प्लॉट सं. सी-21, एम. आई.डी.सी, शेंद्रे पाँच सितारा औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद जिले में भेषज क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2503(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 100.00 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र दिनांक 27 मार्च, 2012 द्वारा एस.ई.जेड का नाम मै. अंजता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड से मै. इंसिपरा इन्फ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड कर दिया गया था ;

और यतः, मै. इंसिपरा इन्फ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 100.00 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 12 मई, 2015 के पत्र सं. एस.ई.जेड-1814/सी.आर-41/2013/आई.एन.डी-2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 100.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/94/2007-एस.ई.जेड]

भूपिन्दर भल्ला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2015

**S.O. 2979 (E).**—Whereas, M/s. Ajanta Projects (India) Limited, a private organization in the State of Maharashtra, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for pharmaceuticals at Plot No.C-21, MIDC, Shendre Five Star Industrial Area, District Aurangabad in the State of Maharashtra;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 100.00 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 2503(E) dated 22<sup>nd</sup> October, 2008;

And, Whereas, the name of the SEZ was changed from M/s. Ajanta Projects (India) Pvt. Ltd to M/s. Inspira Infra (Aurangabad) Ltd vide Ministry of Commerce and Industry letter dated 27<sup>th</sup> March, 2012;

And, Whereas, M/s Inspira Infra (Aurangabad) Ltd. has proposed to de-notify the entire area of 100.00 hectares of the above Special Economic Zone;

And, Whereas, the State Government of Maharashtra has given its “No Objection” to the proposal vide letter no. SEZ-1814/CR-41/ 2013/Ind-2 dated 12<sup>th</sup> May, 2015.

And, Whereas, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 100.00 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/94/2007-SEZ]

BHUPINDER S. BHALLA, Jt. Secy.